

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक 105/वाद सं० सी-1441/एस-2/2022

दिनांक: 16.03.2023

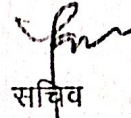
सब से,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री नदीम खान लेन न० सी-24 मोरोवाला रोड, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 02वीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग का अनाधिकृत निर्माण निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० सी-1441/एस-2/2022 योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.2.2023 को ध्वस्त किया जाना था। किन्तु किन्ही कारण उक्त चालान शुदा निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सका। उक्त निर्माण को दिनांक 24.03.23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं ध्वस्तिकरण से संबंधित जे.सी.वी. संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री नदीम खान लेन न० सी-24 मोरोवाला रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है, विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें एवं शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक-3348 दिनांक 06.2.2023 की यथावत रहेगी।


सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

